

22/2/18 पत्तावली पेशा / वकील पत्रकार उपच
पूजा मुन्ना 2 दिनांक 10/4/18 को पेशा है

10.4.18 पत्तावली पेशा / वकील पत्रकार उपच ही जयप
लेख अपसल चाहा जयप लेख मापरी मोका
निसा जाता ही कामाती फेसी के उपलक्ष मोका
देस नही होगा। वामा जयप 10.5.18 को
पेशा है।

राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केंद्र
स्थान धानावद दिनांक 15/5/18

पत्तावली आज राजस्व लोक अदालत केंद्र
धानावद पर पेशा / प्रतियादीगण उपच ही
प्रतियादीगण का कथन है कि उनके स्वार्थ
नी शमि के स्वार्थ नं. 508 व 509 है।
हमारी शमि रास्ते से लगी हुई है।

राजस्व लोक अदालत
धानावद के द्वारा अभियान
अमलनाथ
रतनलाल

श्री. इन्द्र प्रहसानती
श्री. लक्ष्मण
लालचंद 510 कालजी
माली नि. नि. माला (पु.)

शुद्धि ख. नं. 505 जी हपटी है, उसमें एक
कुछ हिस्से पर रास्ता बना हुआ है।
हमें ख. नं. 508 व 509 पर ही पर्याप्त
जी नै नाप कर लक्षण संभाला था।
कभी एक हम उस शुद्धि पर जाबित हो
हमारा वारीगण श्री शुद्धि ख. नं. 565
व 566 से जोड़ लेना देना नहीं है।
प्रतिवादीगण से हमारा कवाम तथा
उनकी पहचान स्वतंत्र गवाह श्री लालचंद
शुद्धि लाल जी माली नि. व्यामल (वेडी)
द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा अपने स्वार्थ की शुद्धि
की बहुत लम्बा यात्रा पर प्रस्तुत किया
जिसमें अंकित किया कि उनका वारीग
श्री शुद्धि से लेना देना नहीं है यदि
एक (0) का निम्नांक कर दिया
जाता है, तो उन्हें, आपत्ति नहीं है।
प्रतिवादीगण की पहचान लालचंद
ग्राम पंचायत द्वारा पुनः की गई।
प्रतिवादीगण को पर्यारी हल्का के
माध्यम से नकरा एवं मौका की
स्थिति समझाई गई।

प्रतिवादी अनारपित श्री हद
तक बाद वारीगण पर विचार
किया गया।

तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इतिहास राजीव गांधी न्यायिक आयोग	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---------------	---	---

वाराणसी जिले के वारीगठ अभिलिखित
 महाबलदेव हैं। अर्थात् वारीगठ की हैसियत
 आरा 5 (43) एवं आरा 14 के अनुसार
 आसामी की होती है। यदि वारी-
 गठ के कर्तव्य कर्म से जलित गारा जैसा
 महाबलदेव मजहमत भी जाती है, तो
 इससे वारीगठ का अपारिमित क्षति
 लम्बाव्य है।

अतः वारा वारीगठ स्वीकार किया
 जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि
 प्रतिवारीगठ वारीगठ के स्वामिनी की
 अर्थात् ग्राम न्यायत खेडी खेड नं० 565
 व 566 के कर्तव्य कर्म से वारीगठ
 के विकृत किली प्रकार की महाबलदेव
 मजहमत न तो स्वयं कर्तुं और न ही
 एजेंट के माफत कर्तव्य। लंदनपुर
 डिप्टी मजिस्ट्रेट को/ प्रमाणनी फिल
 सुमाए लेकर 30 30 है।

15/5/2018
 तारीख

(कृष्ण गोपाल जोषन)

निर्णय आज दिनांक 15/5/2018 को
 मेरे द्वारा लिखा जाकर राजस्व
 लोक महाबलदेव के नाम पर
 सुनाया गया।

15/5/2018
 (कृष्ण गोपाल जोषन)
 अधिकारी
 राजस्व